आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः— सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बावत घोषणार्थ एवं बंटवारा

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— 1. :— 103/2024 उनवान अभिषेक बनाम उर्मिला वगै0

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा वहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक **06.06.2024** निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम मण्डावा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 3.08 हैक्टर,15 रकबा 2.44 हैक्टर, ख.न. 740 रकबा 2.31 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैः—

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	जगदीश, बीरबल, मेधाराम, रामकरण, विधाधर हिस्सा 5/7 पिता नत्थूराम जाति जाट, भगवानी पत्नी नत्थूराम हिस्सा 1/7 राहिन बीओबी शाख मण्डावा, सरवण पुत्र नत्थूराम हिस्सा 1/7 राहिन बीओबी मण्डावा	14 मी.	2.61	बारानी 1
	योग	किता 01	2.61	बारानी 1
2	नरेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति सोनी सा. देह	14 मी. 740 मी.	0.30 0.455	बारानी 1
	योग	किता 02	0.755	बारानी 1
3	अभिषेक पुत्र गणपतराम हि. 0.6525 है., भंवरी देवी पत्नी गणपतराम हि. 1.9575 है., राहिन बीआरकेजीबी शाखा मण्डावा	14 मी.	2.61	बारानी 1
	योग	किता 02	2.61	बारानी 1
4	सरोज पत्नी सुरेश हिस्सा 1/2, सावंरमल पि. हिराराम हि 1/2 जाति जाट सा. देह	740 मी.	1.10	बारानी 1
	योग	किता 01	1.10	बारानी 1
5	उर्मिला दुलड पत्नी अभिषेक जाति जाट सा. देह खातेदार	740मी.	0.755	बारानी 1
	योगः—	01	0.755	

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप वटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

वसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.06.2024 को जारी की गई।

सुप्रिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

झुन्झुनू (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – सुप्रिया (आर॰ए॰एस॰)

मु0न0 :– 103/2024 उनवान अभिषेक बनाम उर्मिला वगै0

अभिषेक वादी

बनाम

उर्मिला वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06.06.2024

न्यायालय हाजा द्वारा 103/2024 उनवान जयसिंह वगै0 बनाम में वाद वादी दिनांक 21.03.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2023/687दिनांक 15.05..2024 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम मण्डावा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 3.08 हैक्टर,15 रकबा 2.44 हैक्टर, ख.न. 740 रकबा 2.31 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैः–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	जगदीश, बीरबल, मेघाराम, रामकरण, विधाधर हिस्सा 5/7 पिता नत्थूराम जाति जाट, भगवानी पत्नी नत्थूराम हिस्सा 1/7 राहिन बीओबी शाख मण्डावा, सरवण पुत्र नत्थूराम हिस्सा 1/7 राहिन बीओबी मण्डावा	14 मी.	2.61	बारानी 1
	योग	किता 01	2.61	बारानी 1
2	नरेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति सोनी सा. देह	14 मी. 740 मी.	0.30 0.455	बारानी 1
	योग	किता 02	0.755	बारानी 1
3	अभिषेक पुत्र गणपतराम हि. 0.6525 है., भंवरी देवी पत्नी गणपतराम हि. 1.9575 है., राहिन बीआरकेजीबी शाखा मण्डावा	14 मी.	2.61	बारानी 1
	योग	किता 02	2.61	बारानी 1
4	सरोज पत्नी सुरेश हिस्सा 1/2, सावंरमल पि. हिराराम हि 1/2 जाति जाट सा. देह	740 मी.	1.10	बारानी 1
	योग	किता 01	1.10	बारानी 1
5	उर्मिला दुलड पत्नी अभिषेक जाति जाट सा. देह खातेदार	740मी.	0.755	बारानी 1
	योगः–	01	0.755	

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
जिला झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा